

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस

अपील संख्या: 02/24

जीसीएमएस नम्बर: 2024/1

निर्णय दिनांक 03-01-2025

1. शिवराज पुत्र जगमालराम जाति बिश्नोई निवासी जगरामपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. जगमालराम पुत्र पेमाराम जाति बिश्नोई निवासी जगरामपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

स्टेट जरिये तहसीलदार नोखा

—रेस्पोंडेन्ट्स



अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12-10-2023
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थित:-

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—


1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 12-10-2023 जिसके द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय तरीके से डिक्री पारित की गई है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वाके रोही गोविन्दनगर तहसील नोखा के खसरा नम्बर 2063/661 तादादी 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 660 तादादी 0.03 हेक्टर की कुल तादादी 4.28 हेक्टर के बाबत अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 30-05-2023 को एक दावा प्रस्तुत किया। वादगत भूमि अपीलांट की पैतृक भूमि है जो करीब 15-20 वर्षों पूर्व पारिवारिक समझौते में अपीलांट के हक व हिस्से में दे रखी है तब से अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपीलांट ने खेत में मकान भी बनवा रखा है। वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के पिता/रेस्पोंडेंट संख्या 1 के नाम से खातेदारी अंकित चली आने से रेस्पोंडेंट संख्या 1 अपीलांट की पैतृक भूमि को अन्य व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा चिरनेषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो बगैर कब्जे काश्त होने के कारण भूमि पर निषेधाज्ञा की रिलीफ मांगी गई है जो कानूनन नहीं दी जा सकती परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी।



उन्होंने आगे बताया कि वादगत भूमि पैतृक भूमि होने से अपीलांट के पिता द्वारा करीब 15-20 वर्ष पूर्व ही भूमि का पारिवारिक विभाजन करते हुए वादगत भूमि में से 1/2 हिस्सा अपीलांट को दे दिया गया था जिस पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि का सुधार करते हुए रहवास हेतु पक्का मकान भी निर्मित करवा रखा है। शेष भूमि पर अपीलांट का छोटा भाई काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसका ज्ञान रेस्पोंडेंट संख्या 1 को होते हुए भी अदालत मातहत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए दावा एकपक्षीय डिक्री करवा लिया है। कानूनन निषेधाज्ञा के दावे में कब्जे का बिन्दु महत्वपूर्ण है, कब्जा होना आवश्यक है और यदि कब्जा नहीं हो तो निषेधाज्ञा की मांग नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों पर गौर किये बिना अधीनस्थ एकपक्षीय डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गये नोटिस अपीलांट को प्राप्त नहीं हुए और ना ही अपीलांट को दावे की कोई जानकारी पहले से प्राप्त थी परन्तु अदालत



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत ने अपीलांट की तामील मानते हुए दावा एकपक्षीय डिक्री कर दिया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट का कोई जवाब नहीं लिया गया है और ना ही किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। कानूनन निषेधाज्ञा के वाद में स्टेट का जवाब एवं मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए दावा डिक्री किया गया है। वादगत भूमि के मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना कब्जे संबंधी कोई जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं थी। जबकि निषेधाज्ञा के वाद में सर्वप्रथम कब्जा ही बताया जाना होता है जिसके संबंध में वादी द्वारा अपने वादपत्र में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12-10-2023 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वे सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।



मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को नोटिस की प्रोपर तामील करवाये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रथम जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी गई। विधि की भी यह धारणा है कि मियाद पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए तथा मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर निर्णय करने की बजाए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 156, 45, 111, आरआरडी 1983 पेज 364, आरबीजे 1998 पेज 568, डब्लूएलएन (रेवेन्यू) पेज 641, आरआरटी 2003 पार्ट 1 पेज


राजस्व अपील अधिकारी
लोकानेर


125, डीएनजे 2003 पार्ट । पेज 309, आरआरटी 2006 पार्ट । पेज 4, आरएलआर पार्ट । पेज 207, आरएलडब्लू 2008 पार्ट ।। पेज 1142, आरएलडब्लू 2009 पार्ट । पेज 151 , आरआरटी पार्ट । पेज 648 तथा आरबीजे 2005 पेज 232 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4.

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत आराजी जैर को अपीलांट ने अपनी पैतृक भूमि होना अंकित किया है जबकि वादगत भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। यदि वादगत भूमि पैतृक भूमि भी होती है तो अपीलांट द्वारा 1/2 हिस्सा कब्जे काशत में रखा जाना कानूनन दृष्टिगत नहीं होता है क्योंकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के 3 पुत्रियां व 2 पुत्र होने के कारण अपीलांट के हिस्से में केवल मात्र 1/6 भाग निहित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दावे में स्टेट का जवाब व मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत दावा निजी पक्षकारों के मध्य था एवं स्टेट से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था जिसके लिहाज से स्टेट से जवाब व मौका रिपोर्ट प्राप्त किया जाना बाध्यकारी नहीं था।

आगे उन्होंने कथन किया कि वादगत भूमि पर रेस्पोंडेन्ट काबिज काशत चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि पर काबिज काशत होने बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तरीके से अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित किये गये थे जिस पर स्वयं अपीलांट की तामील अंकित है ऐसे में बावजूद सूचना के प्रतिवादी/अपीलांट के अनुपस्थित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित किया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो तथ्य वर्णित किये गये हैं वो पूर्णतः मिथ्या एवं झूठे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन पर स्वयं अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है एवं दिनांक 25-10-2023 को डिक्री की पालनार्थ भिजवाये गये नोटिस पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा मियाद कण्डोन करने के दिये गये


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



कारण संतोषजनक नहीं है। अतः अपील अपीलांट मियांद बाहर एवं गुणावगुण विहीन होने से खारिज फरमाई जावे।


विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 10, आरआरडी 1990 पेज 20, आरआरडी 1994 पेज 643, आरआरडी 1955 पेज 252, एआईआर 1998 एससी पेज 2276 एवं आरआरडी 2007 पेज 311 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12-10-2023 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 20-12-2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18-12-2023 को होना अंकित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन प्रतिवादी/अपीलांट को प्रेषित किये थे उक्त सम्मन की पुष्ट पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है एवं तहसीलदार नोखा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2106 दिनांक 25-10-2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना हेतु जो नोटिस प्रेषित किया गया था उक्त नोटिस पर भी अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है। अतः अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 30-10-2023 को हो जानी साबित हो जाने से अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत किये जाने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर नहीं किया जाता है।

(2) हस्तगत प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन किये गया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि वादगत भूमि पैतृक भूमि है परन्तु इसके संबंध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है




राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिससे यह साबित होता हो कि अराजी जैर पैतृक भूमि है। इसके उपरान्त अपीलांट का यह कथन है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नोटिस की प्रति संलग्न है जिसमें अपीलांट स्वयं द्वारा नोटिस को प्राप्त किया गया है।


(3) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वादगत भूमि के बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट का जवाब नहीं लिया गया है एवं ना ही वादगत भूमि के मौका एवं कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इसके विपरीत रेस्पोजेन्ट का कथन है कि स्टेट से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। प्रकरण दो पक्षकारों के मध्य था ऐसे में स्टेट का जवाब एवं मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक नहीं था। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दावे का अध्ययन किया गया जिसमें स्टेट से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने से स्टेट का जवाब एवं मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई।

प्रकरण में यह निर्विवाद रूप से यह तथ्य साबित है कि रेस्पोजेन्ट वादगत भूमि का रिकोर्डेड खातेदार है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर वाद स्वीकार किया गया था। ऐसी स्थिति में हम अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।



7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश व डिक्री दिनांक 12-10-2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03-01-2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीकानेर